रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.L.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 382] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 1986/भाद्रपद 31, 1908
No. 382] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 22, 1986/BHADRA 31, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

कलकत्ता, दिनांक 22 सितम्बर, 1986.

अधिसूचना

का. आ. 682(अ):—पटसन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बी. आर. बासु, पटसन आयुक्त, एतद्द्वारा बी. ट्वील्स (एक प्रकार का पटसन वस्त्र) की साइज 112.4 सेंटीमीटर × 67.5 सेंटीमीटर साम्य वजन सिला किनारा 112.00 सेंटीमीटर × 67.5 सेंटीमीटर सिला, 1020 ग्राम प्रति बोरा, 6 × 6, 3-सीसे शुष्क सिला है तथा अन्य दृष्टियों से वर्तमान भा. मा. (सं. भा. मा. : 2566—1984 अद्यतन

संशोधित) के अनुरूप है, अधिकतम बहिनिर्माणी कीमत 709.90 रूपया प्रति एक सौ बोरा नियत करते हैं। इसी अधिकतम कीमत पर उसका क्रय अथवा विक्रय सितम्बर, 1986 महीने के दौरान किया जायेगा ।

इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई एकमात्र कीमत उत्पादन शुल्क उपकर जो पटसन निर्माण उपकर अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत देय होगी, विक्रय कर जो क्रेता को वास्तविक खर्च के अनुसार बहिनिर्माणी कीमत के अतिरिक्त देना होगा ।

[फाइल सं. 8/1/86-जूट]

बी. आर. बासु, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

Calcutta, the 22nd September, 1986.

NOTIFICATION

S.O 682 (E) :—In exercise of the powers conferred by Clause 8 of the Jute (Licensing & Control) Order, 1961, I, B. R. Basu, Jute Commissioner, hereby fix Rs. 709.90 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twills (a variety of jute textiles) of the size 112.4 Cms. × 67.5 Cms. Hd. W. I. P. 112.0 Cms. × 67.5 Cms. Hd. 1020 Cms. per bags, 6 × 8, 3-blue dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI specification (No. IS : 2566-1984 as amended upto-date) shall be purchased or sold during the month of September, 1986.

2. The price fixed under this notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufactures Cess Act, 1983, and sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

[F. No. 8|1|86-Jute]

B. R. BASU, Jute Commissioner.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986